राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

रिव्यू याचिका संख्याः– 16 / 2023

अंतर्गत

अपील संख्या :–933 / 2022

सीताराम मीणा

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर व अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 09.02.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
प्रत्यर्थीगण की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने अधिकरण द्वारा पारित अपील संख्या–933 / 2022 सीताराम मीणा बनाम प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.08.2023 को रिव्यू किए जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी ने कथन किया है कि अपीलार्थी के 18 वर्षीय एसीपी के लाभ को दिनांक 01.07.2014 के बजाय 06.10.2015 से देने के आदेश जारी किये, जो विधि विरुद्ध है तथा 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ दिनांक 01.07.2018 से दिया जाना चाहिए था, परन्तु माननीय अधिकरण ने दिनांक 29.08.2023 को अपीलार्थी की उक्त अपील में अपीलार्थी के वसूली के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया तथा ना हीं विचार किया। जिस पर नियमानुसार विचार करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी अंकित किया है कि प्रत्यर्थी विभाग को यह अधिकार नहीं है कि वह अपीलार्थी के 27 वर्षीय एसीपी के लाभ को बिना किसी कारण के आगामी वर्षों में परिवर्तित करें। माननीय अधिकरण ने उक्त तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया। इसलिए अपीलार्थी का पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

2. रिव्यू करने के संबंध में जो प्रावधान धारा 6(5) राजस्थान सिविल सेवा (सेवा–मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 है, वो निम्न प्रकार से है:–

> 6(5) "The Tribunal may, on its own motion or on the application of any party interested, review its own decision or order and pass in reference there to such order as it thinks just and proper. Provided that the Tribunal shall not review its own decision or order unless it is satisfied that there has been discovery of new and important fact or evidence which, after the exercise of due diligence was not within the knowledge of such party or could not be produced by such partly at the time when such decision or order was made, or that there has been some mistake or error apparent on the face of the record: Provided further that no application under this sub-section shall lie to the Tribunal after the expiry of thirty days from the date of the decision or order of which review is being sought: Provided also that an application may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the Tribunal that he had sufficient cause for not filling the application within such time.

उपर्युक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि रिव्यू याचिका उस स्थिति में ही दायर की जा सकती है, जब कोई नया तथ्य अपीलार्थी की ध्यान में आया हो, जो पहले उसकी ध्यान में नहीं था या फिर रिव्यू तब किया जा सकता है, जब आदेश में कोई (face of record) त्रुटि रही हो। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ने ऐसा कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, जो उसके ध्यान में पूर्व में नहीं हो। आदेश में कोई त्रुटि भी प्रकट नहीं होती है। अतः अपने आदेश को रिव्यू किये जाने का कोई आधार हमारे समक्ष नहीं है। पूर्व में पारित आदेश में हस्तक्षेप किये जाने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है।

3. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत रिव्यू याचिका बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

4. आदेश आज दिनांक 09.02.2024 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)